

दूरभाष : 2740239
फैक्स : 2742309

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान
ए-ब्लॉक, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर

क्रमांक: एफ.5(थ-18)कोष/पेंशन/अधिक भुगतान/५६९४-५७३५

दिनांक 18/7/12

कोषाधिकारी,
समस्त

विषय:- बैंकों द्वारा किए गए पेंशन भुगतान में अनियमितता/अधिक भुगतान की जाँच बाबत

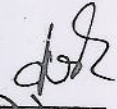
प्रसंग:- प्रधान महालेखाकार का पत्र क्रमांक: जी. एस. एस. 11/ डी. पी. सैल/ 2011-12/ 1 दिनांक 10.07.2012

महोदय,

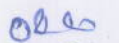
उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि पेंशनर्स को बैंक द्वारा अधिक भुगतान के संबंध में निम्नलिखित कदम तत्काल प्रभाव से उठाना सुनिश्चित करें:-

1. बैंक पेंशन चैक रजिस्टर संधारित किया जाए।
2. कोषाधिकारी द्वारा पेंशन भुगतान की जाँच/ सत्यापन नियमित रूप से किया जाए।
3. स्कॉल की प्राप्ति पर पेंशन चैक रजिस्टर की जाँच करें।
4. कम्प्यूटर पर सभी पेंशनधारियों का मास्टर डाटा डालें।
5. पूर्व में जारी विभागीय परिपत्रों की अनुपालना भी सुनिश्चित की जावे।

भवदीय,


निदेशक

उपरोक्त निदेशावली पर जालने का
ध्यान रहे।


18/7